



उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

द्वितीय तल, A&D ब्लॉक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010 (उ0प्र0)

टेलीफोन: 91-522-2723921, टोल फ़ि नं0-18001805412,

ई-मेल: upbocboardlko@gmail.com

:: अधिसूचना ::

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित निर्माण श्रमिकों के हितार्थ “मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना” तथा “निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना” को एकीकृत एवं सरलीकृत करते हुए, नई योजना “निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना” पर शासन के पत्र सं0 22/2022/2167377/2022/श्रम-2, दिनांक 04.08.2022 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। साथ ही बोर्ड द्वारा वर्तमान में संचालित “मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना” तथा “निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना” को नई “निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना” की अधिसूचना की तिथि से स्वतः समाप्त किये जाने पर भी अनापत्ति प्रदान की गयी है। उक्त अनापत्ति के क्रम में निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDSY) निम्नवत् अधिसूचित की जाती है:—

1—योजना का नाम : निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDSY)

2—योजना का उददेश्य—

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उसे अथवा उसके आश्रित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

3—पात्रता—

- I. इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे, जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं।
- II. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित हितलाभ हेतु पात्र होंगे। आश्रित से तात्पर्य प्रथमतः सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पात्र अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) को, द्वितीयतः लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र/अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता/पिता और अंततः लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।
- III. हत्या, सर्पदंष, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुयी मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा।
- IV. निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आश्रित द्वारा आवेदन करने पर आश्रित का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

4—आवेदन की प्रक्रिया—

निर्माण श्रमिक की दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में निर्माण श्रमिक/आश्रित द्वारा दिव्यांगता/मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र समर्त आवश्यक अभिलेख सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से किया जाना होगा। अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में आवेदन सम्बंधित जनपदीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा—

- I. ऑनलाइन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- II. आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।
- III. आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- IV. प्राथमिक सूचना रिपोर्ट/पंचनामा तथा पोर्टफॉर्म रिपोर्ट (पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु तथा अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना में मृत्यु की दशा में)।
- V. दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सीय प्रमाण पत्र।
- VI. पंजीकृत श्रमिक/आवेदक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5—देय हितलाभ का विवरण—

इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में देय हितलाभ का विवरण निम्नानुसार हैः—

मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में 1	कुल देय धनराशि 2	प्रतिमाह देय धनराशि 3
पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में।	रु0 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख) एवं रु0 25,000/- (अन्त्येष्टि व्यय) कुल रु0 5,25,000/- (पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र)। (रु0 05 लाख 05 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में तथा रु0 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) (एकमुश्त)	प्रतिमाह लगभग रु0 9,395/- (प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार।)
पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में।	रु0 2,00,000/- (दो लाख) एवं रु0 25,000/- (अन्त्येष्टि व्यय) कुल रु0 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार मात्र)। (रु0 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में तथा रु0 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) एकमुश्त)	प्रतिमाह लगभग रु0 8,736/- (प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार।)
अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में।	रु0 1,00,000/- (रु0 एक लाख मात्र)। (एकमुश्त)	—
पूर्ण (100 प्रतिशत) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में।	रु0 4,00,000/- (चार लाख मात्र)। (रु0 04 लाख 04 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में)	प्रतिमाह लगभग रु0 9,172/- (प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार।)

स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम होने पर।	रु0 3,00,000/- (तीन लाख मात्र)। (रु0 03 लाख 03 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में)	प्रतिमाह लगभग रु0 8,953/- (प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार।)
स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम होने पर।	रु0 2,00,000/- (रु0 दो लाख मात्र)। (रु0 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में)	प्रतिमाह लगभग रु0 8,736/- (प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार।)

देय हितलाभ के भुगतान की प्रक्रिया

- I. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि व्यय रु0 25,000/- तथा हितलाभ रु0 05 लाख की स्वीकृति की जायेगी। अन्त्येष्टि व्यय रु0 25,000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा धनराशि रु0 05 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 05 वर्ष (60 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- II. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि व्यय रु0 25,000/- तथा हितलाभ रु0 02 लाख की स्वीकृति की जायेगी। अन्त्येष्टि व्यय रु0 25,000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा धनराशि रु0 02 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 02 वर्ष (24 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी।
- III. अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रु0 01 लाख की स्वीकृति की जायेगी, जिसे एकमुश्त आवेदक को प्रदान किया जायेगा, उक्त की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- IV. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप हुई पूर्ण (100 प्रतिशत) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ रु0 04 लाख की स्वीकृति की जायेगी तथा धनराशि रु0 04 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 04 वर्ष (48 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी।
- V. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप हुई (50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ रु0 03 लाख की स्वीकृति की जायेगी तथा धनराशि रु0 03 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 03 वर्ष (36 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित

की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी।

- VI. अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्य स्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में ₹0 01 लाख के देय हितलाभ को छोड़कर समर्त हितलाभ उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-2 पर वर्णित अवधि हेतु ही मासिक किस्त के रूप में दिये जायेंगे, परन्तु किसी विशेष परिस्थिति जैसे पुत्री के विवाह, गम्भीर बीमारी एवं बच्चों की उच्च शिक्षा की स्थिति में एक वर्ष की अवधि के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी की अनुशंसा पर सचिव, बोर्ड की स्वीकृति द्वारा अवशेष धनराशि एकमुश्त आवेदक द्वारा निकाली जा सकती है।
- VII. उक्त योजना के अंतर्गत देय हितलाभ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत नियमानुसार अनुमन्य क्षतिपूर्ति/हितलाभ के अतिरिक्त होगा।
- VIII. पंजीकृत श्रमिक/आवेदक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।

6—आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया—

निर्माण श्रमिक की मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी—

- I. श्रमिक की दिव्यांगता/मृत्यु होने पर श्रमिक/आश्रित द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जाँच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर हितलाभ के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में सूक्ष्म रूप में कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।
- II. पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में एवं अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में हितलाभ प्राप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जाँच अधिकारी की अनुशंसा के 15 दिन के भीतर अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा अपने स्तर से परीक्षण कर स्वीकृति हेतु स्वीकर्ता अधिकारी संबंधित जिलाधिकारी को आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।
- III. स्वीकर्ता अधिकारी/जिलाधिकारी आवश्यक होने पर संयुक्त टीम गठित कर जाँच करा सकते हैं।
- IV. आवेदन के अग्रसारण के 15 दिन के भीतर स्वीकृत अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पर स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही किया जाना होगा।
- V. स्वीकृति के 15 दिन के भीतर श्रमिक/आश्रित के पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खाते/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता अंतरित की जायेगी। यह समर्त कार्यवाहियाँ ऑनलाइन वेबसाइट/पोर्टल पर भी तदिनांक ही सम्पादित की जायेंगी। उक्त समय—सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय—समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

7—कठिनाइयों का निवारण —

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस संबंध में कोई दिशा निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

अतएव निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (**KMDSY**) तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है। साथ ही “मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना” तथा “निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना” स्वतः समाप्त समझी जाएंगी।

(विपिन कुमार जैन)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक : **3162-न3** / भ0नि0बोर्ड-(86बी)-2022, दिनांक : **10/08/2022**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. विशेष सचिव, श्रम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0 22/2022/2167377/2022/श्रम-2, दिनांक 04.08.2022 के क्रम में।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा समस्त जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
8. लेखा प्रभाग, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
9. प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद को उपर्युक्तानुसार बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट कराये जाने हेतु।
10. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड से समन्वय स्थापित कर बोर्ड की वेबसाइट पर योजना को अपडेट कराये जाने हेतु।
11. गार्ड फाईल।

(विपिन कुमार जैन)
सचिव, बोर्ड।